न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 23/2010 (2010/00058) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—अर्जुनलाल पिता चान्दमल सिंघवी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1— कमला पत्नि अर्जुनलाल सिघंवी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2— अरविन्द पिता अर्जुनलाल सिघंवी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3— अजीत पिता अर्जुनलाल सिघंवी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4— सुमन पुत्री अर्जुनलाल सिघंवी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—अमरसिंह पिता नाथुदान चारण निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा आशाहोली जरिये शाखा प्रबन्धक आशाहोली

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

उपस्थित

1. महेश दाधीच — **अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. एमएल बापना — **अधिवक्ता विपक्षीगण**

निर्णय

दिनांक 06.02.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बकाण तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 455 रकबा 8 बिघा, आराजी संख्या 464/2क रकबा 7 बिघा भूमि स्थित है जिसकी नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। चरण 1 में वर्णित आराजियात का भू प्रबन्ध हो जाने से नवीन नम्बर आराजी संख्या 455 रकबा 8 बीघा के नवीन नम्बर 1307 रकबा 0.40 है0, 1308 रकबा 2.17 है0, 1309 रकबा 0.35 है0, 1310 रकबा 0.01 है0, 1318 रकबा 0.06 है0, 1319 रकबा 0.04 है0, 1328 रकबा 0.43 है0, कुल किता 7 रकबा 3.46 है0 बने इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 464/2क रकबा 7 बीघा के नवीन नम्बर 1303 रकबा 0.13 है0, 1306 रकबा 0.42 है0, 1311 रकबा 0.97 है0, कुल किता 3 रकबा 1.52 है0 बने। प्रार्थी के पक्ष में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर द्वारा जारी डिक्री प्रकरण संख्या 17/84 की पालना में नामान्तरण संख्या 620 दिनांक 15.03.2000 को खोला गया इसका इन्द्राज साबिक जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 में कर दिया गया तथा अमरसिंह पिता नाथुसिंह के नाम से प्रार्थी के नाम दर्ज हो चुका था राजस्व मण्डल तक डिक्री बहाल रही जिसे हेतु उक्त प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय आदेश प्रकरण 17/84 एवं जमाबन्दी 2049 से 2052 प्रस्तुत की है।

साथ ही निवेदन किया कि दौराने बन्दोबस्त भु प्रबंध अधिकारियो के बिना किसी आदेश के साबिक आराजी संख्या 464/2क रकबा 7 बीघा एवं 455 रकबा 8 बीघा जिसके नवीन नम्बर 1307 रकबा 0.40 है0, 1308 रकबा 2.17 है0, 1309 रकबा 0.35 है0, 1310 रकबा 0.01 है0, 1318 रकबा 0.06 है0, 1319 रकबा 0.04 है0, 1328 रकबा 0.43 है0, कुल किता 7 रकबा 3.46 है0 बने जिसमे 1/2 हिस्से से प्रार्थी के नाम दर्ज होना चाहिये जिसे गलत रूप से पुनः अमरसिंह के नाम दर्ज कर दिया इसी प्रकार आराजी संख्या 1303 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1306 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 1311 रकबा 0.97 है0, कुल किता 3 रकबा 1.52 है0 बनाये जिसमे प्रार्थी का नाम हटाकर अमरसिंह पिता नाथुदान चारण के नाम दर्ज कर दिया

जबकि प्रार्थी का नाम दर्ज होना चाहिये भू प्रबंध अधिकारियो को साबिक रेकार्ड के मुकाबले नवीन रेकार्ड बनाना चाहिये भूमि किसी अन्य के नाम दर्ज करने का भू प्रबंध अधिकारियो को अधिकार नही है। अतः निवेदन है कि ग्राम बकाण की हाल आराजी संख्या 1303 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1306 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 1311 रकबा 0.97 है0, कुल किता 3 रकबा 1.52 है0 प्रार्थी के नाम तन्हा दर्ज की जावे व आराजी संख्या 1307 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 1308 रकबा 2.17 है0, आराजी संख्या 1309 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 1310 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 1318 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1319 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1328 रकबा 0.43 है0, कुल किता 7 रकबा 3.46 है0 लेहरूलाल, पन्नालाल पिता छोगालाल के नाम 1/2 हिस्से से व 1/2 हिस्सा विपक्षी अमरसिंह पिता नाथुदान चारण के नाम दर्ज है विपक्षी का 1/2 हिस्सा हटाकर प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया नोटिस की पालना में विपक्षीगण क्रमांक 1 की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र अनुसार दुरस्ती किया जाना उचित बताया गया विपक्षी क्रमांक 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया गया ओर अन्त में निवेदन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन व बेबुनियाद व गलत तथ्यो से आधारित होने से सव्यय खारीज फरमाया जावे विपक्षी क्रमांक 3 की ओंर से जवाब पेश कर अकिंत किया कि विपक्षी संख्या 2 अमरसिंह को 300000/- रूपये का ऋण नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने के बाद प्रदत किया गया है आराजियात 1303, 1306, 1311 पूर्व में केन्द्रीय सहकारी बैक भीलवाड़ा शाखा रायपुर के रहन था बाद में बैक के रहन रखी गई जब तक बैक का सम्पूर्ण ऋण चुकता नही हो जाता तब तक रहन नही हट सकता है साथ ही आवेदन पत्र में लेहरूलाल व धन्नालाल पुत्र छोगा जाट के नाम भी 1/2 हिस्से से आराजी दर्ज करने की प्रार्थना की है जबकि इस प्रकरण में लेहरू, धन्ना पक्षकार नही है अतः उक्त आपत्तियो के आधार पर प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि दर्ज कराने का निवेदन किया विपक्षी संख्या 1 की ओर से भी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही की है। विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता की भी बहस सुनी गई।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड ग्राम बकाण की जमाबन्दी खाता संख्या 2 संवत 2049 से 2052, एवं खाता संख्या 161 जमाबन्दी संवत 2049 से 2052, खसरा मिलान, राजस्व वाद संख्या 17/1984 के निर्णय दिनांक 13.03.1992 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के निर्णय की प्रति भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा अपील डिक्री 151/99 दिनांक 21.07.95 की प्रति व न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अपील डिक्री 94/98 निर्णय दिनांक 30.08.2005 की प्रति एवं नामान्तरणकरण संख्या 620 की प्रति आदि का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी के द्वारा क्रय शुदा भूमि प्राथी के नाम जरिये नामान्तरणकरण संख्या 620 के साबिक आराजी नम्बर 455 रकबा 16 बीघा मे से अमरसिंह पिता नाथुदान चारण का 1/2 हिस्सा एवं आराजी नम्बर 464/2क रकबा 7 बीघा भूमि अमरसिंह पिता नाथुदान चारण के बजाय प्रार्थी अर्जुनलाल पिता चान्दमल सिघंवी सा. आशाहोली के नाम जरिये वाद संख्या 17/84 में जारी डिक्री की पालना में प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड हो चुकी थी। उसके बाद विपक्षीगण द्वारा अपील न्यायालय में अपील करने के बाद राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में अपील होने पर राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा अन्तिम निर्णय दिनांक 30.05.2008 से भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.1998 एवं विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर का निर्णय दिनांक 13.03.1992

यथावथ रखा गया। प्रार्थी के पक्ष में वाद निर्णित होने के बाद वर्ष 1996 में भूमि दर्ज रेकार्ड हो चुकी थी जो खातेदार अमरसिंह को जानकारी थी ओर मात्र नवीन भू प्रबन्ध के दौरान हुई त्रुटि से नवीन भू प्रबन्ध में पुनः अमरसिंह का नाम दर्ज हो जाने से इसका लाभ उठाते हुए अन्य आराजियात के साथ प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि आराजी नम्बर 1303 रकबा 0.13 है0, आराजी नम्बर 1306 रकबा 0.42 है0, आराजी नम्बर 1311 रकबा 0.97 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 है0 को भी बैक के रहन रख दी इन आराजियात के अलावा विपक्षी अमरसिंह के नाम अन्य आराजियात संख्या 222 रकबा 1.53 है0, आराजी संख्या 223 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1428 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1429 रकबा 0.09 है0,, आराजी संख्या 1430 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1436 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 1443 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1444 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1454 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 1471 रकबा 0.58 है0, आराजी संख्या 1490 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1491 रकबा 0.57 है0, आराजी संख्या 1492 रकबा 3.35 है0, आराजी संख्या 1493 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1495 रकबा 1.03 है0, आराजी संख्या 1498 रकबा 3.11 है0, आराजी संख्या 1499 रकबा 3.95 है0, कुल किता 17 कुल रकबा 15.66 है0 भूमि बैक के रहन दर्ज है अगर बाकीदार द्वारा ऋण राशि जमा नही कराने पर सम्बधित बैक आराजी नम्बर 1303, 1306, 1311 कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 है0 भूमि को छोंड़ते हुए शेष आराजियात से ऋण राशि वसुल की जा सकती है। प्रार्थी के पक्ष में निर्णित आराजी नम्बर 1303, 1306, 1311 से ऋण राशि वसुल योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर में इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि प्रार्थी के नाम साबिक आराजी नम्बर 455 रकबा 16 बीघा में अमरसिंह पिता नाथुदान चारण का 1/2 हिस्सा एवं 464/2क रकबा 7 बीघा का सम्पूर्ण रकबा अमरसिंह नाथुदान चारण के बजाय अर्जुनलाल पिता चान्दमल सिघंवी के नाम हो चुका था मात्र नवीन भु प्रबन्ध के दौरान नामान्तरणकरण संख्या 620 का अमल नही कर पुनः मूल खातेदार अमर सिंह के नाम दर्ज हो गई जो लिपिकीय त्रृटि है जिसको धारा 136 एलआरएक्ट के तहत् शुद्वि हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि राजस्व ग्राम बकाण के आराजी नम्बर 1303 रकबा 0.13 है0, आराजी नम्बर 1306 रकबा 0.42 है0,, आराजी नम्बर 1311 रकबा 0.97 है0, कुल किता 3 रकबा 1.52 है0 भूमि सम्पूर्ण एंव आराजी नम्बर 1307 रकबा 0.40 है0, 1308 रकबा 2.17 है0, 1309 रकबा 0.35 है0, 1310 रकबा 0.01 है0, 1318 रकबा 0.06 है0, 1319 रकबा 0.04 है0, 1328 रकबा 0.43 है0, कुल किता 7 रकबा 3.46 है0 भूमि में विपक्षी अमरसिंह पिता नाथुदान चारण 1/2 के बजाय प्रार्थी अर्जुनलाल पिता चान्दमल सिघंवी के फोत होने से उनके विधिक वारिस कमलादेवी पत्नि स्व. अर्जुनलाल सिघंवी, अरविन्द पिता स्व. अर्जुनलाल सिघंवी, अजीत पिता स्व. अर्जुनलाल सिघंवी, सुमन पुत्री स्व. अर्जुनलाल सिघंवी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6.2.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.06 16:38:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: